प्रेषिका,

श्रीमती मोनिका ठाकुर,
विशेष न्यायाधीश(ई०सी० एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
प्रतापगढ़।

सेवा में,

माननीय प्रशासनिक जज,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

विषयः-	माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय प्रतापगढ़ द्वारा प्रार्थिनी को दिये गये वार्षिक प्रविष्टि वर्ष २०२१-२०२२ के सम्बन्ध में।

महोदय,

१.	ससम्मान निवेदन है कि आवेदिका नकल अनुभाग तथा अपने कार्यालय की प्रभारी थी।

२.	माननीय जिला जज ने वार्षिक प्रविष्टि के कालम [०१(k)] में यह लिखा है कि त्रैमासिक मुआइना प्रभावी ढंग से नहीं किया गया है।

३.	माननीय जनपद न्यायाधीश ने दोनों विभागों में से विभाग का मुआइना प्रभावी ढंग से नहीं किया गया है, इसका स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है।

४.	आवेदिका ने अपने दोनों विभागों का मुआइना काफी प्रभावी एवं सम्यक तत्परता से किया था। जिसकी रिपोर्ट माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को दी गयी थी। लेकिन रिपोर्ट पढ़ने के बाद माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय मुझ आवेदिका को कभी भी कोई इस संदर्भ हेतु अर्धशासकीय पत्र नहीं दिया था।

५.	यह कि माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा दिनांक १४.०६.२०२२ को मेरे नकल अनुभाग का स्वयं मुआइना किया गया था और अनुभाग के वरिष्ठ कर्मचारी से यह पूछा था कि बिना फोटोप्रति जमा कराये तुमने नकल क्यों तैयार कर के रखा था? इस विषय में आवेदिका से समीक्षा करके रिपोर्ट भेजने के लिए कहा था। नकल अनुभाग में प्रस्तुत आवेदनों पर संबंधित कार्यालय से रिकार्ड मंगा कर उसकी नकल बनायी जाती है और जब नकल लेने वाला आता है तो उसका हस्ताक्षर मिलान कर उचित फोटो प्रतिलिपि शुल्क जमा कराकर उसे नकल प्रदान करा दी जाती है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उक्त मुआइना पिछले वर्ष का नहीं है, बल्कि जून २०२२ का है।

माननीय जनपद न्यायाधीश ने अपनी आख्या में यह स्पष्ट नहीं लिखा है कि आवेदिका ने नकल अनुभाग का अथवा अपने ऑफिस का मुआइना प्रभावी ढंग से नहीं किया है।

६.	आवेदिका ने काफी प्रभावी ढंग से काफी मुकदमों का निस्तारण ईमानदारी पूर्वक किया है। इसके संदर्भ में माननीय जनपद न्यायाधीश ने भी अपनी गोपनीय वार्षिक प्रविष्टि में लिखा है , लेकिन असेसमेन्ट (ओवर आल परफॉर्मेंस) में केवल गुड की इंट्री दी गयी है, लेकिन मेरे द्वारा न्यायिक कार्य व प्रभारी के रूप किये गये कार्य के समग्र आकलन के आधार पर और बेहतर इंट्री देना चाहिए था। अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त प्रत्यावेदन को विचार में लेते हुए स्वीकार करने की कृपा करें।

ससम्मान।

भवदीया,

दिनांक 03.08.2022

Monica Thakur 3/8/22

(मोनिका ठाकुर)
विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
प्रतापगढ़।